न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रेयत कृषि सहकारी समिति जरिये प्रबन्धक, जसराज दर्जी		सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री पीताराम परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक :24.01.2018

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 01/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स को दिनांक 13.02.1960 को सहकारी समितियों को भूमि आवंटन नियमों के अनुसार जैर अपील वादस्थ भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे आज से लगभग 57 वर्ष हो चुके है। अपीलाण्ट् पिछले 57 वर्षो से उक्त आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें अध्यक्ष का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन आदि प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से कृषि नहीं की जाती है, जो आवंटन नियमों का उल्लंघन होने के कारण आवंटन निरस्त किया जावे। तहसीलदार की यह रिपोर्ट रेकर्ड के विपरित है। समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से कृषि की जाती है, जिसके रेकर्ड का संधारण किया गया है, जो अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजात् पर किसी प्रकार का गौर किए बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यह निवेदन किया कि उक्त सोसायटी वर्तमान में चालू है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे नजरअन्दाज किया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जैर अपील वादस्थ भूमि में मौके पर आज भी अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सरकारी पैरोकार ने अपील बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेयत कृषि सहकारी समिति ग्राम खारडी के 26 कृषकों को जैर अपील वादस्थ भूमि सामूहिक कृषि कार्य हेतु दी गई थी। उक्त सहकारी समिति ने आवंटन नियम 1959 की अवहेलना करते हुए एकल रूप से कृषि कार्य करने लग गये है। जिससे कृषि सहकारी समिति का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। ऐसे में समिति के सदस्यों के पास उक्त भूमि रखे जाने का कोई औचित्य नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए आवंटन निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। लिहाजा अपीलाण्ट्स की अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम खारडी तहसील मा0जं0 के खसरा नम्बर 811962, 963, 964, 967, 1056, 1058, 1058/1147 तथा 1059 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 96.5550 हैक्टेयर भूमि रेयत कृषि सहकारी समिति, खारडी प्रबन्धक जसराज दर्जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि सहकारी समिति को राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त समिति के सदस्यों द्वारा हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि सामूहिक कृषि न कर व्यक्तिगत कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही है। इस प्रकार समिति द्वारा उक्त भूमि अपने सदस्यों को व्यक्तिगत कृषि हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है। जो कि राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू–आवंटन) नियम, 1959 की धारा 5 (4)(ग) के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होता है। जिसके कारण रेयत कृषि सहकारी समिति खारडी जरिये प्रबन्धक जसराज दर्जी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना करने के कारण आवंटन खारिज कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया, उसमें उन्होने उक्त भूमि पर सामूहिक कृषि करना जाहिर किया, किन्तु इन तथ्यों के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलाण्ट्स आवंटित भूमि पर सामूहिक रूप से काबिज काश्त हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजात् का परीक्षण करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 01/2011 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली